सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 08.09.2023

नाबालिग बालिका को बहला-फुलाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 02 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पीडिता /अपहर्ता को किया सकुशल बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना इकदिल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 04.07.2023 को ग्राम फूफई बडी निवासिनी वादिनी द्वारा थाना इकदिल पर सूचना दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अज्ञात व्यक्ति घर से बहला-फुसलाकर ले गये है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर मु0अ0सं0 161/2023 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया तथा पीडिता /अपहर्ता की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा थाना इकदिल से पुलिस टीम का गठन किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 07.09.2023 की रात्रि को थाना इकदिल पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 161/2023 धारा 363 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों को **पक्का बाग पुल के नीचे से समय 23.50 बजे** गिरफ्तार कर नाबालिग लडकी को सकुशल बरामद किया गया।

बालिका के बयानों तथा पुलिस पूछताछ के आधार पर मु0अ0सं0 161/2023 धारा 363 भादवि में धारा 366,376,120बी भादवि, 3/4 पाक्सो एक्ट व धारा 15/16 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. लखन दुबे पुत्र हरीशंकर दुबे निवासी ग्राम लुहेटा थाना मुरसान जिला हाथरस उम्र करीब 22 वर्ष
2. इरफान उर्फ सलमान पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम कुरावली थाना मुरसान जिला हाथरस उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0स0 161/2023 धारा 363/366/376/120 B भादवि व 3/ 4 व 15/16 पोक्सो एक्ट थाना इकदिल इटावा

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री दीपक कुमार प्रभारी थाना इकदिल इटावा, उ0नि0 श्री कासिफ हनीफ, उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह, हे0का0 तनवीर हुसैन, का0 अजय सिंह, म0का0 पूजा शर्मा